Advertisement Format

Government of Chhattisgarh
Department of Pachayat and rural Development
Raipur, Chhattisgarh

Application are invited for the post of Director, Social Audit Unit for coordinating Social Audit of works under Mahatma Gandhi NREGA and other schemes of Department of Panchayat and Rural Development, Government of Chhattisgarh, Raipur.

Name of Post : Director - Social Audit Unit
No. of Post : 01
Last Date of Submission : 05.12.2016

Eligibility Criteria:

1. Applicant should have a minimum of 15 years of working experience with international or national level organization/ national and state level programmes and schemes/ non-governmental organizations of national and international repute/ civil society organizations and similar such organizations or individuals and of work in the thematic area of Social Audit/ Environment/ Agriculture/ Poverty-alleviation/ rural Livelihood/ Health/ Education/ Forestry/ Wild Life Conservation/ Human Rights/ Child Right/ Women Empowerment/ Sanitation/ Capacity Building And Development/ Other Social Sector.
2. Should be efficient and skilled in organizational development, communication, management and leadership.
3. Should have Post Graduate degree in any subject or Post Graduation in Management/ Social Work/ Engineering/ Agriculture or any other equivalent Post Graduation degree.
4. Search Committee has a right to relax the years of experience by 5 years a mentioned in point 1 of eligibility criteria for suitable candidate, subject to fulfillment of all other eligibility criteria.

Age Limit : Applicant should be more than 35 years and less than 55 years of age on date 01.01.2017 (Search committee has a right to relax the minimum age limit by 5 years for any suitable candidate, subject to fulfillment of all other eligibility criteria.)

Other Conditions :

1. Applicants have to enclose a write-up of upto 500 words with the application on "Why applicant is the best suitable candidate for the post of Director-Social Audit.
2. Applicants have to submit the description of her/his major achievements during the last 15 years of working experience and also have to submit a road map for conduct of Social Audit work in the state.
3. Applicants have to submit the Recommendation letter by three referees who should be eminent personalities in the field of above mentioned thematic areas. (Point 1 of eligibility criteria.)
4. Applicants having experience in Social Audit will get weightage, if she/he fulfills other eligibilit criteria.
5. Selected candidate for the position of Director will work in whole of Chhattisgarh State with headquarter at Raipur.
6. Application of a suitable candidate with full prescribed information may also be submitted by any other eminent persons/experts in the thematic areas as mentioned in point 1 of eligibility criteria.
7. Applicants having experience in more thematic areas with years of experience in each thematic are (as mentioned in point 1 of eligibility criteria) will get extra weightage.
8. Applicants should have working knowledge of Hindi language as all the official correspondence in the are State made in Hindi language.

Tenure of appointment :

Initial contract will be for three years and further extensions of two years each time based on the performance and recommendation of Search Committee.

Emoluments :

The selected candidate for the post of Director - Social Audit Unit will get-

1. Monthly consolidated salary of Rs. 1,00,000/- (One Lakh).
2. Vehicle equivalent to commissioner - Mahatma Gandhi NREGA, Chhattisgarh.
3. Leave facilities as per the Chhattisgarh Samvida Bharti Niyam.

Resignation/Termination :

1. Appointed person may give her/his resignation by submitting one month notice in advance or by depositing Rs. 1,00,000/- (One Lakh) in State Employment Guarantee Fund in case of less than on month notice period.
2. If the work of Director- Social Audit Unit is found unsatisfactory by State Government, the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Department of Panchayat and Rural Development, Government of Chhattisgarh will submit a proceeding/ report to Selection Committee for termination. Selection Committee, after hearing from the Director, soical Audit, will take decision on termination.

Role and Responsibility :

The core functions of Director - State Social Audit Unit are to :

1. Overall management, coordination and control of Social Audit Unit.
2. Manage day-to-day functioning of the Social Audit Unit.
3. Ensure that all policy level decisions related to the unit are implemented.
4. Undertake all activities to fulfill goals and objectives of Social Audit.
5. Recruit staff, award consulting contracts and incur necessary expenditure to manage day to day affairs.
6. Convene Governing Body and Executive Committee meetings at stipulated intervals and maintain all minutes, records and registers of Social Audit Unit.
7. Interact and communicate with all Government Officials.
8. Accomplishment of roles and responsibilities as mentioned in the act of Social Audit Unit.
9. Undertake any other work assigned by Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Department of Panchayat and Rural Development, Government of chhattisgarh on Social Audit.

Recruitment Process :

Entire recruitment process will be conducted by the selection committee constituted under the Chairpersonship of Chief Secretary, Government of Chhattisgarh as per the approved recruitment process.

How to Apply :

Interested candidates or eminent specialists who want to apply for other candidate are requested to send the application with up-to-date curriculum vitae and all required information by Registered post/Speed Post to Address given below:-

Commissioner,
Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme
Department of Commissioner Office,
Indravati Bhavan, Block no.-II, Second Floor,
Naya Raipur (CG)

Application consisting of up-to-date CV and all required information also sent through Email: **nregastatecell@gmail.com**

The last date of submission of application with required information is : **05.12.2016**

विज्ञापन प्रारूप

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर, छत्तीसगढ़

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन अंतर्गत संचालित महात्मा गांधी नरेगा सहित अन्य योजनाओं में सामाजिक अंकेक्षण कार्यों के सुचारू संपादन हेतु संचालक, सामाजिक अंकेक्षण इकाई, पद हेतु राज्य स्तर पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

पद :– संचालक, सामाजिक अंकेक्षण इकाई

पद संख्या :– 01

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 05.12.2016

अर्हता :–

1. अभ्यर्थी के पास अंर्तराष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय संगठन/केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी योजना/गैर–शासकीय संगठन/सिविल सोसायटी संगठन अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य संगठन के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से सामाजिक अंकेक्षण/ पर्यावरण/ कृषि/ गरीबी– उन्मूलन/ग्रामीण आजीविका/ स्वास्थ्य/शिक्षा/वानिकी/वन्य जीव संरक्षण/मानवाधिकार/बाल अधिकार/महिला सशक्तिकरण / स्वच्छता/ क्षमता निर्माण सह विकास/ सामाजिक क्षेत्र जैसे किन्हीं क्षेत्र में 15 वर्षों का कार्यानुभव होना चाहिए।
2. अभ्यर्थी को संगठन चलाने, संप्रेषण, प्रबंधन एवं नेतृत्व क्षमता होना चाहिए।
3. अभ्यर्थी के पास किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री अथवा प्रबंधन/ सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर (MSW) /इंजीनियरिंग/कृषि अथवा इसके समक्ष किसी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री होना चाहिए।
4. यदि अभ्यर्थी अन्य सभी योग्यताओं को पूर्ण करता हो, ऐसी परिस्थितियों में कण्डिका–01 में वर्णित 15 वर्ष के कार्य अनुभव में सर्च कमेटी अधिकतम 5 वर्षों तक की छूट प्रदान कर सकता है।

आयु सीमा :– अभ्यर्थी की आयु 35 वर्ष से अधिक परंन्तु 55 वर्ष से कम हो। (01.01.2017 को)।यदि अभ्यर्थी अन्य सभी योग्यताओं को पूर्ण करता हो तो, सर्च कमेटी अभ्यर्थी के न्यूनतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्षों तक की छूट प्रदान कर सकता है।

अन्य शर्तें :–

1. अभ्यर्थी आवेदन के साथ "**संचालक, सामाजिक अंकेक्षण इकाई के लिए अभ्यर्थी सबसे उपयुक्त उम्मीदवार क्यों है**" विषय पर लेख अधिकतम 500 शब्दों में **अंग्रेजी अथवा हिन्दी में** देना होगा।
2. अभ्यर्थी को आवेदन के साथ विगत 15 वर्षों की उपलब्धि के संबंध में विवरण संलग्न करना होगा, साथ ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य उनके द्वारा किस प्रकार संपादित किया जाएगा के संबंध में एक रोडमैप (कार्ययोजना) दिया जाना होगा।
3. अभ्यर्थी को आवेदन के साथ अर्हता की कण्डिका–01 में वर्णित श्रेणियों में से किसी भी क्षेत्र के 3 प्रतिष्ठित व्यक्तियों का अनुशंसित पत्र दिया जाना होगा।

4. प्राप्त आवेदन पत्रों में से जिन अभ्यर्थियों के पास सामाजिक अंकेक्षण के क्षेत्र में कार्य का अनुभव होगा उन्हें अन्य शर्ते समान होने की स्थिति में प्राथमिकता दी जाएगी।
5. सामाजिक अंकेक्षण के संचालक पद हेतु चयनित व्यक्ति को मुख्यालय, रायपुर में रहकर छत्तीसगढ़ राज्य में कार्य करना होगा।
6. आवेदन किसी अभ्यर्थी द्वारा स्वतः किया जा सकता है अथवा अर्हता की कण्डिका–01 में वर्णित श्रेणियों में से किसी भी क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा भी किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में पूर्ण जानकारी के साथ आवेदन किया जा सकता है।
7. जिन अभ्यर्थियों को जितने अधिक क्षेत्रों एवं जितना अधिक अनुभव होगा उन्हें चयन के समय उतना अधिक Weightage (महत्व) दिया जाएगा।
8. अभ्यर्थी को हिन्दी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि राज्य में समस्त कार्यालयीन पत्राचार हिन्दी में किया जाता है।

कार्यावधि :–

संचालक, सामाजिक अंकेक्षण पद हेतु कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। 3 वर्ष उपरांत कार्यकाल में 2–2 वर्षों की वृद्धि, सर्च कमेटी की अनुशंसा से की जा सकेगी।

वेतन एवं सुविधाएं :–

"सामाजिक अंकेक्षण इकाई" के संचालक पद हेतु चयनित व्यक्ति को –

1. एकमुश्त राशि रु. 1,00,000/- (एक लाख रुपये) मासिक देय होगा।
2. वाहन की पात्रता आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा के समकक्ष होगा।
3. छत्तीसगढ़ संविदा भर्ती नियम के तहत् संविदा कर्मचारियों को प्रदत्त समस्त अवकाश की पात्रता होगी।

पदच्युति/त्यागपत्र :–

1. "सामाजिक अंकेक्षण इकाई" के संचालक के पद हेतु नियुक्त व्यक्ति एक माह पूर्व सूचना देकर अथवा रु. 1,00,000/- (एक लाख रुपये) राज्य रोजगार गारंटी निधि में जमा कर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।
2. यदि राज्य शासन संचालक, " सामाजिक अंकेक्षण इकाई" के कार्य को संतोषजनक नहीं पाता है तो, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इस संबंध में एक प्रतिवेदन चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, तद्उपरांत चयन समिति ऐसे प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संचालक, "सामाजिक अंकेक्षण इकाई" का पक्ष सुनने के पश्चात् उन्हें पद से पृथक करने के संबंध में निर्णय लेगी।

कार्य :– संचालक सामाजिक अंकेक्षण इकाई के कार्य निम्नानुसार होंगे :–

(i) सामाजिक इकाई का संचालन एवं नियंत्रण करना।
(ii) सामाजिक अंकेक्षण इकाई के दिन–प्रतिदिन के कार्यो का प्रबंधन करना।
(iii) सामाजिक अंकेक्षण इकाई के नीतिगत निर्णयों का पालन सुनिश्चित करना।

(iv) सामाजिक अंकेक्षण इकाई के उद्देश्य और दृष्टिकोण हेतु समस्त आवश्यक क्रियाकलापों को पूर्ण करना।

(v) सामाजिक अंकेक्षण इकाई हेतु कर्मचारियों (अमलों) की भर्ती करना तथा दिन–प्रतिदिन के आय–व्यय का प्रबंधन करना।

(vi) समय–समय पर सामान्य सभा एवं कार्यकारिणी समिति की बैठक आहुत करना एवं समिति के बैठकों का कार्यवाही विवरण, अभिलेख व पंजियों का संधारण सुनिश्चित करना।

(vii) शासकीय अधिकारियों के साथ आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित करना।

(viii) सामाजिक अंकेक्षण इकाई के नियमावली में उल्लेखित अतिरिक्त कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करना।

(ix) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में सौंपे गए अन्य कार्य।

चयन प्रक्रिया :–

मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया से चयन किया जावेगा।

आवेदन करने का तरीका :–

इच्छुक आवेदक अथवा प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा भी किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में पूर्ण जानकारी के साथ विज्ञापित पद हेतु आवेदन पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से निम्नलिखित पते पर प्रेषित किया जा सकता है :–

आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–II, द्वितीय तल, नया रायपुर (छ.ग.)

आवेदन पत्र पूर्ण विवरण के साथ ई–मेल आईडी: **nregastatecell@gmail.com** पर भी भेजना आवश्यक है।

पूर्ण विवरण के साथ आवेदन की अंतिम तिथि : **05.12.2016**.